



2026: AHC: 3158

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-40767 सन् 2025

एहसान एवं अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:- सिकंदर खान

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्रीअशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिकंदर खान, राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री आर० के० निषाद को सुना गया तथा वाद के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन, आवेदकगण एहसान तथा अदनान की ओर से, पुलिस थाना-कोतवाली नगर, जनपद-बुलंदशहर में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21/22 के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 1039 सन् 2025, में, उसे जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक एहसान के कब्जे से 105 ग्राम एल्प्राजोलाम और आवेदक अदनान के कब्जे से 120 ग्राम एल्प्राजोलाम बरामद होने का आरोप है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से मात्र कुछ ही अधिक है। वास्तव में, आवेदकों से ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि उक्त बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, अतः इस अपराध में उनके मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष हैं और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक, जो दिनांक 24.10.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं तथा जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर उन्मोचित किए जाने के अधिकारी हैं। यदि आवेदकों को जमानत पर उन्मोचित किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण के पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त है; अतः, आवेदक किसी भी प्रकार की राहत की पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर उन्मोचित किया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो जाएगा।

प्रकरण के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में होने वाले दंड की कठोरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की तार्किक आशंका, सार्वजनिक/राज्य के व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु एक उपयुक्त प्रकरण है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित वाद-अपराध में संलिप्त आवेदकों **एहसान तथा अदनान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभु प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर उन्मोचित किया जाए :-

- i. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण में पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक जमानत पर मुक्त होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में , यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व , संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक की पहचान , स्थिति तथा निवास के प्रमाण एवं प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाएगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश